आवेदन पत्र
जैव उर्वरक / जैविक उत्पाद– फर्म सूचीबद्धता (Empanelment)

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को-ऑपरेटिव
फेडरेशन लि०, देहरादून।

महोदय,

प्रकाशित अभिरुचि आमंत्रण (EOI) के संदर्भ में, हम/मैं अपनी फर्म की सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु निम्नलिखित विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करते हैं और घोषणा करते हैं कि समस्त सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं:

खण्ड-अ : फर्म का सामान्य विवरण

फर्म का नाम	
फर्म का प्रकार	
स्थापना वर्ष	
पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता	
उत्पादन इकाई / फैक्ट्री का पता	
प्रमुख व्यक्ति का नाम (MD/CEO/Proprietor)	
मोबाइल / Whatsapp नं०	
ईमेल / Email	
वेबसाइट (यदि हो)	

खण्ड-ब : पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति				
क्र.सं.	**पंजीकरण / अनुज्ञप्ति का प्रकार**	**संख्या / Number**	**जारी तिथि**	**वैधता तिथि**
1.	PAN संख्या			
2.	GST पंजीकरण संख्या (GSTIN)			
3.	उत्तराखण्ड उद्योग विभाग पंजीकरण संख्या			
4.	उर्वरक विक्रय अनुमति पत्र (कृषि निदेशालय, देहरादून, उ.खं.)			

(उक्त अनुसार संलग्न)

खण्ड-स : वित्तीय विवरण (विगत 03 वर्ष)		
वित्त वर्ष	**वार्षिक टर्नओवर (रु० लाख में)**	**सी.ए. ऑडिट (हाँ / नहीं)** (बैलेंस शीट सहित)
2022-23		
2023-24		
2024-25		
औसत वार्षिक टर्नओवर		

(उक्त अनुसार संलग्न)

खण्ड-द : उत्पाद विवरण			
प्रार्थित उत्पाद श्रेणी (जो लागू हो उस पर ✓ करें):			
☐ जैव उर्वरक (Bio-Fertilizer)	☐ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स	☐ जैविक उत्पाद (Organic)	☐ जैव कीटनाशक (Bio-Pesticide)

☐ ***(उत्पाद सूची रेट सहित/ दर सहित संलग्न है)***

खण्ड-ड : आवेदन शुल्क एवं डिमांड ड्राफ्ट विवरण	
डिमांड ड्राफ्ट संख्या / DD Number	
डी.डी. की दिनांक / DD Date	
राशि (रु० में) / Amount (Rs.)	**रु०**
राशि शब्दों में / Amount in Words	
जारीकर्ता बैंक / Issuing Bank	
शाखा / Branch	
के पक्ष में / In Favour of	**उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, देहरादून**
देय स्थान / Payable at	**देहरादून**

नोट: आवेदन शुल्क का अप्रतिदेय (Non-Refundable) डिमांड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से "उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, देहरादून" के पक्ष में, देहरादून में देय बनवाकर मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। डी.डी. की छाया-प्रति अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

खण्ड-इ : स्व-घोषणाएँ / अभिस्वीकृति	
1.	हमारी/मेरी फर्म का किसी भी राज्य में काली सूची (Blacklist) में नाम नहीं है।
2.	समस्त उत्पाद मान्यता प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला से प्रमाणित हैं।
3.	हम/मैं सहकारी समितियों को उत्पाद की आपूर्ति अपने स्वयं के परिवहन व्यय पर उत्पाद की बिक्री उपरांत भुगतान एवं F.O.R. के आधार पर करने हेतु सहमत हैं।
4.	गुणवत्ता में अधोमानक, करदायित्व, आपूर्ति व्यय, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण का समस्त दायित्व फर्म का होगा।
5.	किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 70 के अंतर्गत मध्यस्थ निर्णायक द्वारा होगा।
6.	अवशेष अथवा कालातीत उत्पाद फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर वापस उठाए जाएँगे।
7.	प्रस्तुत समस्त सूचनाएँ, अभिलेख एवं शपथ-पत्र पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। असत्य पाए जाने पर सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

खण्ड-फ : संलग्न दस्तावेजों की चेकलिस्ट

क्र.सं.	संलग्न किया जाने वाला दस्तावेज़	संलग्न है (✓/X)	पृष्ठ सं०
1.	PAN कार्ड की छाया-प्रति		
2.	GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति		
3.	उर्वरक अनुज्ञप्ति (License) की छाया-प्रति		
4.	उत्तराखण्ड उद्योग विभाग पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति		
5.	उर्वरक विक्रय अनुमति पत्र (कृषि निदेशालय, देहरादून) की छाया-प्रति		
6.	विगत 03 वर्षों के CA ऑडिटेड तुलन-पत्र (Balance Sheets)		
7.	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति		
8..	काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ-पत्र (Notarized)		
9	उत्पाद का नमूना / प्रोडक्ट कैटलॉग / ब्रोशर		
10.	आवेदन शुल्क जमा डिमांड ड्राफ्ट		
11.	उत्पाद सूची रेट / दर सहित		

स्थान ______________________	**फर्म का नाम:** ________________________
दिनांक ______________________	**नाम:** __________________________________
	पद: __________________________________
	(हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर)